अध्याय IV: आन्तरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन मूल्यांकन

4.1 आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा)

आयकर (लेखापरीक्षा) निदेशालय आईटीडी के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग की कार्यप्रणाली को प्रबंधित तथा मॉनीटर करता है। यह की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा उनके निपटान की मॉनीटरिंग और प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी तथा सीआईटी (लेखापरीक्षा) के साथ समन्वय के लिए आवश्यक होता है। डीआईटी (लेखापरीक्षा) संबंधित प्रधान सीसीआईटी /सीसीआईटी के तहत आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग की कार्यप्रणाली की जांच करता है। वार्षिक लेखापरीक्षा सम्मेलन में आन्तरिक लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों की चर्चा की जाती है। आन्तरिक लेखापरीक्षा के परिणामों को आन्तरिक लेखापीक्षा कार्यप्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया जाता है। डीआईटी (लेखापीक्षा) तिमाही आधार पर आन्तरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन की समीक्षा करता है जिसके परिणामो को खराब निष्पादन के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देशो के साथ सभी प्रधान सीसीआईटी (सीसीए)/सीसीआईटी (सीसीए) तथा सीआईटी (लेखापरीक्षा) को सूचित किया जाता है। डीआईटी (लेखापरीक्षा) के अनुसार अपर सीआईटी/जेसीआईटी, एसएपी तथा आईएपी द्वारा लेखापरीक्षा योग्य मामलों की कवरेज के सम्पूर्ण लक्ष्यों को 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्राप्त किया गया था जैसाकि नीचे तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: 2010-11 से 2013-14 के दौरान अखिल भारतीय श्रमबल स्थिति तथा लेखापरीक्षित किए गए मामलों की कुल संख्या

वर्ष	अपर सीआईटी/जेसीआईटी (लेखापरीक्षा)			एसएपी			आईएपी		
	कार्यकारी संख्या	लक्ष्य	वास्तविक	कार्यकारी संख्या	लक्ष्य	वास्तविक	कार्यकारी संख्या	लक्ष्य	वास्तविक
2010-11	18	900	1,000	21	6,300	6,691	196	1,37,200	1,79,687
2011-12	19	950	1,382	21	6,300	6,720	219	1,53,300	1,72,314
2012-13	19	950	1,302	20	6,000	7,612	204	1,42,800	1,70,958
2013-14	20	1,000	1,171	20.5	6,150	8,595	195	1,36,500	1,56,993

स्रोत: आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा)

तालिका 4.1 में सूचना दर्शाती है कि डीआईटी (लेखापरीक्षा) ने प्रत्येक आईएपी के लिए 700 मामलों को सौंप कर आईएपी के लिए लक्ष्य संगणित किए है। हालांकि, लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के अनुसार आईएपी के लिए

न्यूनतम लक्ष्य 600 निगम एवं 700 गैर निगम के मामले होना चाहिए। इसे स्पष्ट नहीं किया गया है कि लक्ष्यों को 600 निगम मामलों या 700 गैर-निगम मामलों या दोनों, विशिष्ट रूप से उन निर्धारण यूनिटों जहां निगम तथा गैर निगम दोनो मामलों को निर्धारित किया जाता है के संदर्भ में, निर्धारित किया जाएं।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि उसने दिनांक 14 मई 2015 को 2005 की निर्देश संख्या 4 द्वारा पहले ही स्पष्टीकरण जारी किया है जिसके द्वारा अपर सीआईटी के लेखापरीक्षा योग्य मामलों के वार्षिक लक्ष्य को 50 मामले से 150 मामले प्रति वर्ष तक बढाया गया है। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि आईएपी द्वारा लेखापरीक्षा योग्य मामलों के लिए वार्षिक लक्ष्य 600 निगम या 700 गैर निगम मामले है। इस प्रकार, सीबीडीटी की 2007 की निर्देश संख्या 3 में संशोधन किया गया है तथा इस प्रभाव को पूरा किया गया है। आगे यह कहा गया कि सम्मिलित प्रभार जहां निगम तथा गैर निगम दोनो मामलों को निर्धारित किया जाता है, में निगम तथा गैर निगम मामलों के लिए पृथक रूप से लक्ष्य निर्धारित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि अधिकतर लेखापरीक्षा योग्य मामले पूर्ण किए गए वास्तविक निर्धारण पर आधारित होंगे।

सीबीडीटी द्वारा निर्धारित 50 मामलों के लेखापरीक्षा के वार्षिक लक्ष्य को कुछ क्षेत्राधिकार में अपर सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा पूर्ण नहीं किया गया।

4.2 अपर सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति

2010-11 से 2013-14 की समयावधि के दौरान 50 मामलों के लेखापरीखा के वार्षिक लक्ष्य को पुणे, दिल्ली-I, मुम्बई-II, हैदराबाद, भोपाल, गुवाहाटी, अहमदाबाद (2012-13 में छोड़कर), बैंगलूरू (2012-13 में छोड़कर), मुम्बई-I (2011-12 में छोड़कर), दिल्ली–II (2010-11 में छोड़कर) द्वारा निरन्तर रूप से प्राप्त किया गया था। छत्तीसगढ़, जयपुर, कानपुर, चेन्नई-II तथा कोच्चि प्रभारों को छोड़कर 2013-14 के दौरान सभी प्रभारों ने वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षा लक्ष्य को पूरा किया।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि वार्षिक लक्ष्य को अधिकारियों की कमी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। कई बार एक अधिकारी ने कई अतिरिक्त प्रभार संभाले।

सीबीडीटी द्वारा निर्धारित 300 मामलों के लेखापरीक्षा के वार्षिक लक्ष्य को कुछ क्षेत्राधिकार में विशेष लेखापरीक्षा दलों द्वारा पूरा नहीं किया गया था।

4.3 विशेष लेखापरीक्षा दलों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति

2010-11 से 2013-14 के दौरान एसएपी द्वारा निष्पादन ने 300 मामलों के वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक सुधार दर्शाया है। कोलकाता-I तथा कोलकाता -II प्रभारों में एसएपी ने वि.व. 2010-11 से 2012-13 के दौरान अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान अहमदाबाद, बैंगलूरू, भोपाल, चण्डीगढ़, दिल्ली -I, दिल्ली-II, पुणे तथा हैदराबाद प्रभारों ने निरन्तर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। जयपुर प्रभार को छोड़कर सभी सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों के एसएपी द्वारा 2013-14 के दौरान 300 मामलों के लेखापरीक्षा के वार्षिक लक्ष्य पूरे हुए। दिल्ली-I, दिल्ली-II, मुम्बई-I तथा मुम्बई-II के प्रत्येक प्रभार के लिए दो एसएपी स्वीकृत थे। गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ तथा नागपुर में 2013-14 तक कोई एसएपी स्वीकृत नहीं था।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 *तथा 2012-13 में एसएपी द्वारा 300 मामलों के लेखापरीक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया गया। श्रमबल के अभाव के कारण 2013-14 में 275 मामलों की लक्ष्य प्राप्ति में कुछ कमी हुई।*

सीबीडीटी द्वारा निर्धारित 600 निगम मामलों एवं 700 गैर-निगम मामलों के लेखापरीक्षा के वार्षिक लक्ष्य को कुछ क्षेत्राधिकार में आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

4.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति

2010-11 के दौरान सम्पूर्ण भारत के सीआईटी (लेखापरीक्षा) के विभिन्न प्रभारों के 196 आईएपी द्वारा 1,87,378 मामलों को लेखापरीक्षित किया गया था। 2011-12 में, 219 आईएपी द्वारा 1,72,314 मामलों को लेखापरीक्षित किया गया था। 2012-13 के दौरान 204 आईएपी द्वारा 1,70,958 मामलों को लेखापरीक्षित किया गया तथा 2013-14 मे 195 आईएपी द्वारा 1,56,993 मामलों को लेखापरीक्षित किया गया। 2010-11 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षित किए गए मामलों[9] की औसत संख्या क्रमश: 956, 787, 838

9 आईएपी द्वारा लेखापरीक्षित मामलों की औसत संख्या- (आईएपी द्वारा लेखापरीक्षित मामलों की कुल संख्या/ आईएपी की कार्यकारी संख्या)

तथा 805 थी। अहमदाबाद, बैंगलूरू, चंडीगढ़, दिल्ली-।।, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, मुम्बई-।, मुम्बई-।।, पटना तथा पुणे प्रभारों में आईएपी ने वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान लगातार लक्ष्यों को प्राप्त किया । कोलकाता-। तथा कोलकाता -।। प्रभारों में आईएपी वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि वार्षिक लक्ष्य को अधिकारियो के अभाव के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। कई बार एक अधिकारी ने कई अतिरिक्त प्रभार संभाले।

हमने ₹ 1632.23 करोड़ के कर प्रभाव वाले 437 मामलों जिनकी पहले ही आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा जांच की गई थी, में चूकें देखी ।

4.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए मामलों में प्राप्ति लेखापरीक्षा दल द्वारा चूको का पता लगाना

लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के पैरा 2.1 के अनुसार, आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थापना के उद्देश्यो में से एक, चूक तथा त्रुटि कम करके निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार करना था जिसका राजस्व लेखापरीक्षा द्वारा बाद में पता लगाया गया हो। हालांकि, वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान हमने ₹1632.33 करोड़ के कर प्रभाव वाले 437 मामले, जिनकी पहले ही आन्तरिक लेखापरीक्षा दलो द्वारा जांच की गई थी, में चूकें देखी जैसाकि नीचे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए मामलों में प्राप्ति लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा बताई गई चूके

(₹ लाख में)

क्रम सं.	प्रधान सीसीआईटी/ सीसीआईटी–क्षेत्र	सीआईटी (लेखापरीक्षा)	मामले	मूल्य	चूक की श्रेणी
1	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	हैदराबाद	28	3,554.63	व्यय, कटौती की गलत स्वीकृति, हानियो का गलत निर्धारण, मेट का उद्ग्रहण न होना आदि
2	गुजरात	अहमदाबाद	14	71.82	व्यवसायिक आय की गलत संगणना, ब्याज का उद्ग्रहण न होना, हानियों का गलत निर्धारण आदि
3	झारखंड	पटना	39	1,167.23	

4	कर्नाटक एवं गोवा	बैंगलूरू	100	1,44,418.12	आय तथा कर की संगणना में परिहार्य चूके, हानियों का अनियमित निर्धारण
5	केरल	कोच्चि	10	203.49	व्यय, छूट की गलत स्वीकृति तथा ब्याज का उद्ग्रहण न होना
6	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	भोपाल	24	1,905.31	आय की संगणना में चूक, व्यय की गलत स्वीकृति
7	ओडिशा	भुवनेश्वर	23	4,400.61	धारा 234ए, 234बी, 234डी तथा 244ए के तहत ब्याज का कम उद्ग्रहण, अनवशोषित हानियों का अग्रेषण तथा निर्धारण
8	पंजाब, हरियाणा एवं यूटी चण्डीगढ़	चण्डीगढ	16	228.20	कटौती, छूट की गलत स्वीकृति, ब्याज का कम उद्ग्रहण
9	राजस्थान	जयपुर	94	1,782.35	आय की संगणना में चूके
10	तमिलनाडु	चेन्नई	15	3,786.16	व्यवसायिक आय की गलत संगणना, हानियों का गलत निर्धारण आदि
11	पश्चिम बंगाल	कोलकाता-I कोलकाता-II	74	1,715.00	व्यवसायिक आय की गलत संगणना, हानियों का गलत निर्धारण आदि
		जोड़	**437**	**1,63,232.92**	

इस प्रकार, उक्त सूचना यह दर्शाती है कि त्रुटि तथा चूक को कम करके निर्धारणो की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा के गुणवत्ता नियंत्रण के मामले की आवधिक रूप से जांच की जाती है। आगे यह कहा गया कि हाल ही मे आन्तरिक लेखापरीक्षा की गुणवता की समीक्षा की गई थी तथा सीसीआईटी प्रभारों को अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कहा गया।

4.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा में की गई आपत्तियों की मॉनीटरिंग

आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा) की गई अधिकतर आपत्तियों के संदर्भ में सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभार वार निष्पादन तथा अपर सीआईटी, एसएपी तथा आईएपी के आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य के संदर्भ में आपत्तियों के निपटान को

तिमाही आधार पर मॉनीटर करता है तथा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सम्पूर्ण परिणाम प्रस्तुत करता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्यो के लिए ₹ 2,00,000 से अधिक राजस्व प्रभाव वाले निगम कर/ आयकर मामलों को प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों के रूप में लिया जाएगा। आन्तरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु ₹ 30,000 से अधिक राजस्व प्रभाव वाले अन्य प्रत्यक्ष कर मामलों को प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों के रूप में लिया जाएगा।

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 20,432.87 करोड़ के कर प्रभाव वाली कुल 59,963 प्रमुख तथा लघु लेखापरीक्षा आपत्तियों को आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था। इस अवधि के दौरान, निर्धारण अधिकारियों द्वारा 14,17,681 संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किए गए। जिसके प्रति, अपर सीआईटी, एसएपी तथा आईएपी ने 19,579 प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियाँ तथा 40,384 लघु लेखापरीक्षा आपत्तियां करते समय 7,14,425 मामलों की जांच की। आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई प्रमुख तथा लघु आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की वर्ष वार स्थिति नीचे तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: 2010-11 से 2013-14 के दौरान की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूर्ण संवीक्षा निर्धारण	आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए मामले	वर्ष के दौरान की गई प्रमुख आपत्तियां		वर्ष के दौरान की गई लघु आपत्तियां		वर्ष के दौरान की गई कुल आपत्तियां	
	संख्या	संख्या	संख्या	कर प्रभाव	संख्या	कर प्रभाव	संख्या	कर प्रभाव
2010-11	4,55,213	1,87,378	4,589	5,248.20	8,905	218.68	13,494	5,466.88
2011-12	3,69,320	1,80,416	4,683	1,804.66	9,088	75.19	13,771	1,879.85
2012-13	3,08,398	1,79,872	6,214	3,970.06	12,061	165.42	18,275	4,135.48
2013-14	2,84,750	1,66,759	4,093	8,592.63	10,330	358.03	14,423	8,950.66
जोड़	**14,17,681**	**7,14,425**	**19,579**	**19,615.55**	**40,384**	**817.32**	**59,963**	**20,432.87**

स्रोत: आयकर महानिदेशालय (रसद, अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग), नई दिल्ली

तालिका 4.3 के अनुसार, आन्तरिक लेखापरीक्षा ने वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान एओज द्वारा पूर्ण संवीक्षा निर्धारण के 50.39 प्रतिशत की जांच की। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हमने पाया कि अन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए मामलों में अध्याय 2 में बताए अनुसार सारांश निर्धारणों के साथ-साथ ई-टीडीएस प्रतिदाय सम्मिलित था। लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के अनुसार, आन्तरिक लेखापरीक्षा को खोज एवं जब्ती मामलों के निर्धारण,

विदेशी कम्पनी मामलों, अधिनियम की धारा 10ए, 10बी, 10सी, 10(23सी), 11, 32, 54 एवं अध्याय VI के तहत कटौती के दावे सहित संवीक्षा निर्धारण के अतिरिक्त गैर खोज तथा जब्ती मामलों, अन्य करो, प्रतिदायो के मामलों का निर्धारण तथा टीडीएस मामलों के निर्धारण की जांच करना भी अपेक्षित है। इसलिए आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए संवीक्षा निर्धारणो की संख्या 50.39 प्रतिशत से भी कम है।

यद्यपि सीबीडीटी की केन्द्रीय कार्य योजना चार माह की समय सीमा के अन्दर लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान हेतु 100 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित करती है तथापि, आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां अभी तक लम्बित थी।

4.7 डीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों की मॉनीटरिंग

डीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रदत्त डाटा के अनुसार, 1 अप्रैल 2010 तक पिछले वर्ष के ₹ 3,812.51 करोड़, कर प्रभाव सहित 10,010 लम्बित पैरा थे। वि.व. 2011-12 से 2013-14 के दौरान, ₹ 19,615.55 करोड़ के कर प्रभाव वाली 19,579 प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों को उठाया गया तथा ₹ 12,851.11 करोड़ के कर प्रभाव वाली 18,629 प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान किया गया। 31 मार्च 2014 तक, ₹ 10,576.95 करोड़ के कर प्रभाव वाली कुल 10,960 प्रमुख आपत्तियां नीचे तालिका 4.4 में दिए अनुसार लम्बित थी:

तालिका 4.4: 31.03.2014 तक उठाई गई तथा निपटान की गई प्रमुख आपत्तियों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल तक आदि शेष		वर्ष के दौरान की गई प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियां		वर्ष के दौरान निपटान की गई प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियां		अन्त: शेष	
	संख्या	कर प्रभार	संख्या	कर प्रभार	संख्या	कर प्रभार	संख्या	कर प्रभार
2010-11	10,010	3,812.51	4,589	5,248.20	2,719	884.97	11,880	8,175.74
2011-12	11,880	8,175.74	4,683	1,804.65	4,811	1,073.75	11,752	8,906.64
2012-13	11,752	8,906.64	6,214	3,970.06	5,653	2,626.67	12,313	10,250.03
2013-14	12,313	10,250.03	4,093	8,592.63	5,446	8,265.71	10,960	10,576.95
कुल	**45,955**	**31,144.92**	**19,579**	**19,615.55**	**18,629**	**12,851.11**	**46,905**	**37,909.36**

स्रोत: आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा), नई दिल्ली

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि सीबीडीटी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को विशिष्ट रूप से अपर/संयुक्त आयुक्त स्तर पर श्रमबल के अभाव के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

4.8 डीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा लघु लेखापरीक्षा आपत्तियों की मॉनीटरिंग

2011-12 से 2013-14 के दौरान, ₹ 158.85 करोड़ के कर प्रभाव सहित पूर्व वर्षों के 19,432 बकाया लम्बित पैरा थे, ₹ 817.31 करोड़ के कर प्रभाव वाली 40,384 लघु लेखापरीक्षा आपत्तियों को उठाया गया, ₹ 535.46 करोड़ के कर प्रभाव वाली 46,463 लघु लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान किया गया तथा ₹ 440.70 करोड़ के कर प्रभाव वाले 13,353 पैरा नीचे तालिका 4.5 में दिए अनुसार 31.03.2014 तक लम्बित थे। हालांकि, वसूली/संग्रहण आंकडे प्रदान नहीं किए गए थे।

तालिका 4.5: उठाई गई तथा निपटान की गई लघु लेखापरीक्षा आपत्तियों की कुल संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल तक आदि शेष		वर्ष के दौरान की गई लघु लेखापरीक्षा आपत्तियां		वर्ष के दौरान निपटान की गई लघु लेखापरीक्षा आपत्तियां		अन्त: शेष	
	संख्या	कर प्रभार	संख्या	कर प्रभार	संख्या	कर प्रभार	संख्या	कर प्रभार
2010-11	19,432	158.85	8,905	218.67	5,277	36.87	23,060	340.65
2011-12	23,060	340.65	9,088	75.19	9,337	44.73	22,811	371.11
2012-13	22,811	371.11	12,061	165.41	10,973	109.44	23,899	427.08
2013-14	23,899	427.08	10,330	358.02	20,876	344.40	13,353	440.70
	89,202	**1,297.69**	**40,384**	**817.31**	**46,463**	**535.46**	**83,123**	**1,579.54**

स्रोत: आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा), नई दिल्ली

4.9 लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान

आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता सहित कर प्रशासन से संबंधित मामलों की जून 2013 में आयोजित लोक लेखा समिति (पीएसी) की बैठक में चर्चा की गई तथा इसका विवरण दिनांक अगस्त 2013 की पीएसी की (2013-14) 87वीं रिपोर्ट में दिया गया था। आईटीडी ने पीएसी को (i) शीघ्रता से लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान करने हेतु, (ii) आन्तरिक लेखापरीक्षा में वरिष्ठ तथा सक्षम अधिकारियों को नियुक्त करने तथा तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा यूनिटों की प्रगति को मॉनीटर करने हेतु, (iii) कार्यशाला तथा सम्मेलन आयोजित करके अधिकारियों तथा स्टॉफ की क्षमता सुधारने के लिए विशेष उपाय करने तथा (iv) अधिकारियों तथा स्टॉफ की क्षमता को सुधारने

के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच गुणवत्ता लेखापरीक्षा मामलों का संकलन करने तथा उन्हें प्रसारित करने का आश्वासन दिया था।

आईटीडी ने वि.व. 2012-13 के लिए कार्य योजना में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्ति के निपटान हेतु 4 माह की समय सीमा दी थी। सम्पूर्ण आईटीडी से सीसीआईटी (सीसीए) ने इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने का आवशसन दिया था तथा इसे तिमाही आधार पर सीबीडीटी द्वारा मॉनीटर किया जा रहा था। सीबीडीटी के केन्द्रीय कार्य योजना 2013-14 के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का 100 प्रतिशत की दर निपटान किया जाना है। चूंकि निपटान हेतु समय सीमा 4 माह है अत: लेखापरीक्षा मत है कि वर्ष के अन्त में, वर्ष के दौरान की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का एक तिहाई से अधिक लम्बित नहीं होना चाहिए।

हालांकि, हमने देखा कि 31 मार्च 2014 तक, 10,960 प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियां तथा 13,353 लघु लेखापरीक्षा आपत्तियां अभी तक लम्बित थी।

हमने एक नमूना जांच के आधार पर लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों द्वारा किए गए प्रयासो की जांच की जिसके परिणाम नीचे प्रस्तुत किए गए है:

क. चेन्नई प्रभार में, 2010-14 के दौरान किसी वर्तमान लेखापरीक्षा आपत्ति का निपटान नहीं किया गया था।

ख. बैंगलूरू प्रभार में, नि.व. 1995-96, 1996-97 तथा नि.व. 1998-99 से 2007-08 तक से सम्बंधित 163 मामले अभी तक लम्बित थे।

ग. सीआईटी (लेखापरीक्षा)-I दिल्ली प्रभार में, 42 प्रमुख तथा 135 लघु लेखापरीक्षा आपत्ति के बकाया मामले लम्बित थे। 182 प्रमुख तथा 482 लघु मामलों में प्रथम उत्तर भी लम्बित था।

घ. सीआईटी (लेखापरीक्षा) भोपाल प्रभार में, 31 मार्च 2014 तक लंबित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों, लम्बन की स्थिति, समय बाधित मामले, कार्रवाई के निष्कर्ष, सुधार के उत्तरों की प्राप्ति पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

सीबीडीटी द्वारा जारी कार्ययोजना 2014-15 के अनुसार, 1 अप्रैल 2014 तक आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्ति के लम्बन के निपटान का लक्ष्य 30 सितम्बर 2014 तक था। हालांकि, डीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार पीएसी को आईटीडी द्वारा दिए गए आश्वासन और शीघ्र निपटान के लिए पीएसी की सिफारिशों के बावजूद 30 सितम्बर 2014 तक 6,721 मुख्य

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ और 12,028 छोटी लेखापरीक्षा आपत्तियां निपटान उन्हें दूर करे।

डीआईटी (लेखापरीक्षा), निपटान में देरी के कारणों का पता लगाए और बाकी आपत्तियों के शीघ्र निपटान हेतु निवेदन करें।

2010-11 से 2013-14 के दौरान विभिन्न प्रभारों में अतिरिक्त सीआईटी/ एसएपी और आईएपी के तहत तैनात कर्मचारियों और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आईएपी की तैनाती में बहुत अधिक कमी थी।

4.10 आंतरिक लेखापरीक्षा में श्रमबल की तैनाती

लेखापरीक्षा नियमावली के पैरा 1.3 के अनुसार, प्रत्येक सीसीआईटी (सीसीए) प्रभार में आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन का नेतृत्व सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सीआईटी (लेखापरीक्षा) के तहत एक अतिरिक्त सीआईटी है जो अन्य बातों के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों (आईएपीज़) और विशेष लेखापरीक्षा पार्टियों के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है। एक आईपीओ (मुख्यालय) के अलावा दो आयकर निरीक्षकों (आईटीआईज़) तथा दो वरिष्ठ कर सहायकों (टीएज़)/टीए के साथ एक आईटीओ द्वारा अतिरिक्त सीआईटी की सहायता की जाती है। एसएपी का नेतृत्व एक डीसीआईटी/ एसीआईटी द्वारा किया जाता है जिसमें दो आईटीओ और एक सी.टी.ए/टी.ए. होंगे। इसके अलावा, प्रत्येक प्रशासनिक सीआईटी जिसमें उस सीआईटी के मुख्यालय हैं, के लिए एक आईएपी है। आईएपी का नेतृत्व आईटीओ द्वारा किया जाता है जिसमें दो आईटीओ और एक सी.टी.ए./टी.ए. होंगे। आईएपी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती सीआईटी (लेखापरीक्षा) के प्रशासनिक नियंत्रण में संबंधित सीआईटी की मौजूदा संख्याबल से की जाएगी। वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु पार्टियों की तैनाती की पैन-इंडिया स्थिति तालिका 4.6 में दर्शायी गई है।

तालिका 4.6: आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी और आईएपी की तैनाती की अखिल भारतीय स्थिति

वर्ष	अतिरिक्त सीआईटी/जेसीआईटी		विशेष लेखापरीक्षा पार्टियां		आंतरिक लेखापरीक्षा	
	स्वीकृत संख्या	कार्यात्मक क्षमता	स्वीकृत संख्या	कार्यात्मक क्षमता	स्वीकृत संख्या	कार्यात्मक क्षमता
2010-11	22	18	22	21	272	196
2011-12	22	19	22	21	272	219
2012-13	22	19	22	20	272	204
2013-14	22	20	22	20.5	272	195
कुल	**88**	**76**	**88**	**82.5**	**1,088**	**814**

स्रोत: आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा), नई दिल्ली से इनपुट्स

2013-14 के दौरान अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी और आईएपी की तैनाती में क्रमश: 13.63 प्रतिशत, 6.25 प्रतिशत और 28.31 प्रतिशत तक की कमी थी। डीआईटी (लेखापरीक्षा), संबंधित सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों के तहत अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी की तैनाती की स्थिति का मॉनीटर करता है जिसे सभी प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी और सीआईटी को तिमाही आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। सीआईटी (लेखापरीक्षा) वार विवरण परिशिष्ट 5 में दिया गया है।

हमने पाया कि अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी और आईएपी के तहत कर्मचारियों का विवरण तिमाही रिपोर्टों में नहीं दर्शाया गया है। यद्यपि आईटीडी के क्षेत्रीय कार्यालयों के उत्तरों के अनुसार आईटीडी के सभी संवर्गों में श्रमबल की कमी है, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी और आईएपी के तहत आने वाले कर्मचारियों की केंद्रीकृत मॉनीटरिंग की जा रही है अथवा नहीं।

हमने 2010-11 से 2013-14 के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब और केंद्र शासित चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आईएपी के तहत तैनात कर्मचारियों की संख्या में कमी देखी।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि कई निर्धारण प्रभारों में वृद्धि के पश्चात् सीबीडीटी विशेष रूप से श्रमबल की कमी की सक्रियता से जांच कर रहा है।

आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा से जुड़े अधिकारियों को नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए तैनात नहीं किया जा रहा था और एक वर्ष के भीतर बार-बार स्थानांतरित किया जा रहा था।

4.11 आंतरिक लेखापरीक्षा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का बार-बार स्थानांतरण

लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के पैरा 1.5(ii)(बी) के अनुसार अधिकारियों/ कर्मचारियों को लगातार दो वर्ष के कार्यकाल तक लेखापरीक्षा में होना चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग में तैनात कर्मचारियों के अनुमत कार्यकाल से भी विंग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है। हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्मिकों के बार-बार स्थानांतरण देखे। आईटीडी ने कार्मिकों की तैनाती/स्थानान्तरण के समय नियमावली के प्रावधानों का

अनुपालन नहीं किया जिससे आंतरिक लेखापरीक्षा विंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि श्रमबल की कमी के कारण अतिरिक्त प्रभारों के रूप में कई प्रभार पड़े रहे।

सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेषज्ञता प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। यद्यपि डीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा तिमाही आधार पर निर्देश जारी किए जाते हैं, प्रशिक्षण के विस्तार के लिए किए गये प्रयासों की केंद्रीय मॉनीटरिंग नहीं की जा रही है।

4.12 आंतरिक लेखापरीक्षा से जुड़े कार्मिकों का प्रशिक्षण

लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के पैरा 1.5 और आंतरिक लेखापरीक्षा पर 2007 और 2013 में जारी सीबीडीटी के निर्देशों के अनुसार, सीसीआईटी (सीसीए) को वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण के पश्चात राष्ट्रीय अकादमी, प्रत्यक्ष कर, नागपुर और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान एवं एमएसटीयू के समंवय से आंतरिक लेखापरीक्षा विंग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल प्रभारों में कोई विशेषज्ञता प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

संवीक्षाधीन, समाप्त निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा में नियमों और विनियमों के विस्तृत कार्यात्मक ज्ञान तथा विवेकी मत और ज्ञान के लगातार अद्यतन की आवश्यकता है। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया प्रयास या तो अल्प था या अभाव था।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि डीटीआरटीआई तथा एमएसटीयू विशेषज्ञता प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं तथा डीटीआरटीआई कोलकाता ने पिछले वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह भी बताया गया कि 2015-16 की केंद्रीय योजना में प्रि.सीसीआईटी/ सीसीआईटी द्वारा प्रति तिमाही एक प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रावधान था।

सामान्य या दोहराई जाने वाली त्रुटियों की अर्धवार्षिक आधार पर परिचालन नहीं की जाती है जैसा कि सीबीडीटी द्वारा निर्धारित है।

4.13 सामान्य या दोहरायी जाने वाली त्रुटियों का परिचालन

सीबीडीटी के 2013 के अनुदेश संख्या 15 के पैरा सं. 22 के अनुसार, सीसीआईटी/डीजीआईटी एओज़ को सतर्क करने और शिक्षित करने के लिए आगामी दो तिमाहियों में लेखापरीक्षा में देखी गई सामान्य/दोहराई जाने वाले त्रुटियों के संबंध में सीसीआईटी/डीजीआईटी को सीआईटी लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत अर्धवार्षिक रिपोर्ट में इनपुट के प्रयोग की रणनीति बनाएगा ताकि ऐसी त्रुटियाँ फिर न हो। अतः गुणवत्ता लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जैसी और जब उठाई जाएं, उन्हें भविष्य में होने से रोकने के लिए विभिन्न प्रशासनिक सीआईटी के तहत आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों के बीच परिचालित किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल प्रभार में सामान्य त्रुटियों की सूची नहीं परिचालित की गई। दिल्ली प्रभार में, देखी गई सामान्य त्रुटियों को भविष्य में रोकने के लिए अधिकारियों के दिशा-निर्देश हेतु सीसीआईटी के बीच परिचालित की जा रही थी। असम प्रभार में, त्रुटियों को परिचालित करना अक्टूबर 2013 के बाद से शुरू किया गया था।

इसलिए, आईटीडी को एओ को प्रशिक्षित एवं सतर्क करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा में देखी गई सामान्य/दोहरायी जाने वाली त्रुटियों की सूची को परिचालित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसी त्रुटियां न हो।

यद्यपि आईटीडी के परिचालन एवं प्रक्रियायें स्वचालित हैं, लेखापरीक्षणयोग्य मामलों से संबंधित सूचना लेने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की मॉनीटरिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

4.14 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों का प्रयोग

आईटीडी के परिचालन एवं प्रक्रियायें अर्थात् रिटर्न्स की प्रक्रिया, प्रतिदायों का सृजन, कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीक (सीएएटीज़) का प्रयोग करते हुए संवीक्षा मामलों का चयन स्वचालित है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमने पाया कि आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग योजना प्रक्रिया में असम, बिहार, दिल्ली, झारखण्ड, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल प्रभारों में आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों से संबंधित सूचना की प्रभावी मॉनीटरिंग और नियंत्रण के लिए किसी आईटी टूल/अनुप्रयोग का उपयोग नहीं कर रहा था।

अध्याय 2 में हमनें प्रशासनिक सीआईटी और सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सूचना न देने, जिसके द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर आंतरिक लेखापरीक्षा योजना और कार्यक्रम में कमियों पर टिप्पणी की थी। निर्धारण प्रक्रिया में एओ की सहायता के लिए आईटीडी कई आईटी अनुप्रयोगों का प्रयोग करता है। आईटी माहौल में निर्धारण के समापन पर निर्धारण मामलों से संबंधित सूचना आईटी प्रणाली में पहले ही दर्ज की जाती है। प्रशासनिक सीआईटीज़ के माध्यम से संबंधित एओ से सूचना की प्रतीक्षा के बजाए यह सीआईटी (लेखापरीक्षा) को ऑनलाइन उपलब्ध हो सकता है।

सीबीडीटी ने नवम्बर 2014 में एएसटी अनुदेश संख्या 132 जारी किया जिसने सीआईटी (सीओ) को प्रणाली से लेखापरीक्षायोग्य मामलों (अधिनियम की धारा 143(3), 144 और 147 के अंतर्गत) की एमआईएस निकालने की कार्यक्षमता प्रदान की। सीआईटी (सीओ) अपने क्षेत्र में आने वाले लेखापरीक्षायोग्य मामलों की एमआईएस रिपोर्ट निकालने तथा ऐसी सूची को सीआईटी (लेखापरीक्षा) को भेजने में समर्थ होगा। इसके अतिरिक्त, आईटीओ (मुख्यालय) हैदराबाद प्रभार ने बताया (मार्च 2015) कि लेखापरीक्षा मामलों की सूची निकालने के लिए एएसटी में सुविधा शुरू की गई है और 100 मुख्य मामलों की सूची प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का अवलोकन है कि लेखापरीक्षायोग्य मामलों पर एमआईएस रिपोर्टों को लेखापरीक्षा हेतु मामलों के चयन और योजना बनाने सीबीडीटी के स्तर पर केंद्रीकृत आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा और मॉनीटरिंग से संबंधित डाटा के अनुरक्षण के लिए डीआईटी (लेखापरीक्षा) और सीआईटी (लेखापरीक्षा) को सीधे उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि लेखापरीक्षायोग्य मामलों को लेने के लिए आईटीडी माड्यूल की नई कार्यपद्धति हाल ही में उपलब्ध करायी गयी है। आगे यह भी बताया गया कि आईटीडी का आयकर बिजनेस एप्लीकेशन (आईटीबीए) सॉफ्टवेयर माड्यूल, आंतरिक लेखापरीक्षा से जुड़े मामलों की पहचान करेगा और एमआईएस रिपोर्ट निकालने के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा की मॉनीटरिंग भी करेगा।

सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों में, लेजर कार्ड और अनुपालन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं जैसा कि लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 में प्रावधान था।

4.15 लेजर कार्ड और अनुपालन कार्ड का अनुरक्षण

लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के पैरा 6.2 (अध्याय 6) में प्रावधान है कि आंतरिक लेखापरीक्षा और प्राप्ति लेखापरीक्षा आपत्तियों, जहां लेखापरीक्षा आपत्तियाँ मान ली जाती हैं और कर प्रभाव 14 नवम्बर 2013 तक ₹ 1 लाख तथा 15 नवम्बर 2013 से ₹ 2 लाख से अधिक हो, के लिए आईटीडी द्वारा स्वीकृत त्रुटियों से संबंधित प्रत्येक निर्धारित अधिकारी के लिए लेजर कार्ड बनाना अनिवार्य है। लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के पैरा 5.9 के अनुसार, यह देखने कि क्या जवाबदेही लागू करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई लम्बित है। मामलों के तैयार प्रत्यक्ष अभिलेखों के अनुपालन कार्ड बनाया जाना अपेक्षित है। कार्ड में प्रविष्टियाँ, सीआईटी (लेखापरीक्षा) को त्रुटियों की पुनरावृत्ति पर नजर रखने में कारगर होंगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि एओ के कार्य में सुधार हो रहा है। संबंधित अधिकारियों के वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षिरित करते समय इस कार्ड को ध्यान में रखा जाएगा।

हमने देखा की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार एवं झारखण्ड, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, पंजाब और के.शा. चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 18 सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों में प्रत्येक एओ के लिए निर्धारित फार्मेट में आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों, विभाग द्वारा स्वीकृत त्रुटियों की रिकार्डिंग की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर नजर रखने तथा संबंधित अधिकारी की वार्षिक रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षरित करते समय अपना मत देने से संबंधित लेजर कार्ड नहीं बनाए गए थे। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, ओड़िसा और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में अनुपालन काड्र्स नहीं बनाए जा रहे थे।

लेजर काड्र्स के अभाव में, एओ के निष्पादन की निगरानी हेतु जवाबदेही प्रणाली नहीं थी। उच्च मुद्रा मूल्य लेखापरीक्षा आपत्तियों की मॉनीटरिंग नहीं थी। इस प्रकार उच्च मूल्य आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में सुधारात्मक उपाय न करने का नियंत्रण जोखिम था। अनुपालन कार्ड न बनाने के कारण सुधारात्मक कार्रवाई के प्रगति की निगरानी नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में सीबीडीटी की केंद्रीय कार्य योजना में महत्वपूर्ण परिणामी क्षेत्र के रूप में इसे शामिल करते हुए इस कार्यक्षेत्र की मॉनीटरिंग की जा रही है।

4.16 निष्कर्ष

सीबीडीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मामलों की लेखापरीक्षा का वार्षिक लक्ष्य 2010-11 से 2013-14 के दौरान कुछ क्षेत्राधिकारों में अतिरिक्त सीआईटी (लेखापरीक्षा), एसएपी और आईएपी द्वारा नहीं पूरा किया गया था। यद्यपि सीबीडीटी की केंद्रीय कार्ययोजना में चार महीनों की समय-सीमा के भीतर लम्बित लेखापरीक्षा के निपटान हेतु 100 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित होता है, पूर्व के वर्षों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियाँ अभी तक लम्बित थी। 2010-11 से 2013-14 के दौरान विभिन्न प्रभारों में अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी और आईएपी के तहत तैनात कर्मचारियों और आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु आईएपी की तैनाती में अत्यंत कमी थी। आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा से जुड़े अधिकारियों को नियमावली के प्रावधान के अनुसार दो वर्षों की अवधि के लिए तैनाती नहीं दी जा रही थी और एक वर्ष के भीतर ही बार-बार स्थानांतरण किया जा रहा था। आंतरिक लेखापरीक्षा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण आयोजित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। लेखापरीक्षायोग्य मामलों से संबंधित सूचना लेने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की मॉनीटरिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

4.17 सिफारिशें

हमने सिफारिश किया कि

क. समस्त कमियों के निर्धारण और उपलब्ध श्रमबल के प्रभावी उपयोग के लिए सीबीडीटी अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी और आईएपी के तहत आने वाले मानव संसाधन की वास्तविक तैनाती की मॉनीटरिंग पर विचार करे।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अतिरिक्त श्रमबल का मामला सीबीडीटी के विचाराधीन है।

ख. सीबीडीटी लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान में विलम्ब के कारण जानने पर ध्यान दे और जहां आवश्यक हो वहाँ लेखापरीक्षा आपत्ति के निपटान हेतु उपाय ढूँढने के लिए एओ को निर्देश दे।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि निपटान में देरी, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग और निर्धारण प्रभारों दोनों में अपेक्षित श्रमबल की कमी के कारण है।

ग. प्रभावी योजना, कार्यक्रम, मॉनीटरिंग और आंतरिक लेखापरीक्षा के नियंत्रण के लिए सीबीडीटी, सीआईटी (लेखापरीक्षा) तथा डीआईटी (लेखापरीक्षा) की कार्यप्रणाली में सहायता हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार करे।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) की आईटीडी मॉड्यूल की कार्यप्रणाली बदल दी गई है। आईटीडी में अपनाये जाने वाले आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु नवम्बर 2014 मे डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा पहले ही कदम उठाए गए हैं। संबंधित सीआईटी (लेखापरीक्षा)/डीआईटी (लेखापरीक्षा) के विस्तार हेतु लेखापरीक्षायोग्य मामलों (धारा 143(3), 144 और 147 के अतर्गत) एमआईएस निकालने के लिए देश भर में संबंधित सीआईटी (सीओ) को एक कार्यप्रणाली प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की प्रभावी योजना और कार्यक्रम से नए आगामी आईटीबीए परियोजना में निगरानी और नियंत्रण के पूर्णत: एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे बहुत जल्दी प्रयोग में लाने की योजना है।